कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 23/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री चन्द्रभान पुत्र श्री श्योराम जाति जाट निवासी वी.पी.ओ. ललाना वार्ड न. 1, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, नोहर

——प्रत्यर्थी

आदेश　　　　दिनांकः—30.05.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, नोहर के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी, नोहर से कोई सूचना नहीं मिलने पर अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी, नोहर से अपील में कोई जदाब प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, नोहर को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी की अपील में अंकित आवेदन पत्र दिनांक 24.03.2019 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना नियमानुसार आदेश प्राप्त होने के पश्चात 10 दिन में उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति दोनो पक्षों को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Web Copy Not Official